FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर

सरकार बनाम रेवडया वगै0

किस्म– प्रार्थना पत्र 14 (4) मुकदमा नम्बर 20/14 तारीख रजू 02.09.14

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.19	पत्रावली पेश हुयी। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण तहसीलदार खण्डार द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व आवंटन निरस्तीकरण हेतु पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। नोटिस की पुश्त पर तामील कुनिन्दा द्वारा इस आशयः की रिपोर्ट अंकित की गयी है कि रामबिलास फोत हो चुका है। फोती की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त तहसीलदार खण्डार से मृतक रामबिलास के कायम की सूचना चाही जाने पर अदालत हाजा द्वारा पत्र एवं स्मरण पत्र वर्ष 2014 से आदिनांक तक लिखने के उपरान्त भी कायम मुकाम की सूचना प्रेषित नहीं की गयी। प्रकरण दर्ज रजिस्टर से कम कर तहसीलदार खण्डार को इस आक्षेप के साथ लोटाया जाता है कि प्रकरण में मृतक रामबिलास के कायम बनाये जाकर पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।	